न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 31/2026

सुरज्ञान कल्याण, निवासी ग्राम रामपुरा चिराना, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333303

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार एवं उप पंजीयक) नवलगढ।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

—

आदेश

दिनांक 25.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 31/2026 पर दिनांक 27.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार एवं उप पंजीयक) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार एवं उप पंजीयक) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार एवं उप पंजीयक) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/265—266 दिनांक 27.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार एवं उप पंजीयक) नवलगढ ने पत्रांक पंजीयन/2025/22 दिनांक 09.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पटवार मण्डल चिराना राजस्व ग्राम रामपुरा की भूमि खाता संख्या 442, खसरा नं0 595, सेल डीड सं0 202501451001050 दिनांक 14.02.2025 की मौका निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाहने बाबत 2 उक्त भूमि विक्रेता रोहिताश, धनश्याम, मूलचन्द, तीजूदेवी, सुभिता, मुत्री, मायादेवी एवं क्रेता नवरंग लाल, गवाह जितेन्द्र मूण्ड, देवीलाल तेतरवाल इन सभी की सेलडीड के साथ इन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाही गई है। श्रीमानजी चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने से आटीआई की धारा 8(1)(j)के तहत सूचना दिया जाना संभव नही है। पंजीयन नियमानुसार कार्यालय मे पंजीकृत दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा लेकर दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा किसी विशेष दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सम्पूर्ण सूचना उपलब्धर करवाकर एवं निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार एवं उप पंजीयक) नवलगढ ने पत्रांक पंजीयन/2025/22 दिनांक 09.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पटवार मण्डल चिराना राजस्व ग्राम रामपुरा की भूमि खाता संख्या 442, खसरा नं0 595, सेल डीड सं0 202501451001050 दिनांक 14.02.2025 की मौका निरीक्षण रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि चाहने बाबत 2 उक्त भूमि विक्रेता रोहिताश, धनश्याम, मूलचन्द, तीजूदेवी, सुभिता, मुत्री, मायादेवी एवं क्रेता नवरंग लाल, गवाह जितेन्द्र मूण्ड, देवीलाल तेतरवाल इन सभी की सेलडीड के साथ इन सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि चाही गई है। श्रीमानजी चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने से आटीआई की धारा 8(1)(j)के तहत सूचना दिया जाना संभव नही है। पंजीयन नियमानुसार कार्यालय मे पंजीकृत

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा लेकर दिये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा किसी विशेष दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सम्पूर्ण सूचना उपलब्धर करवाकर एवं निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। चूंकि प्रार्थी को चाही गई सूचना आरटीआई के तहत देय नही होकर पंजीयन नियमों के तहत देय है जो प्रार्थी नियमानुसार आवेदन कर एवं शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है एवं इस बाबत प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं